संख्या- 23/2020/ 1080/38-7-2020-324नरेगा/2012टीसी-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।**

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 24 जुलाई, 2020

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सोशल आडिट में पायी गयी कमियों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट(एटीआर) नरेगा साफट पर अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-352 दिनांक 30-06-2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली 2011 की व्यवस्था की गयी है। इस नियमावली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की सोशल आडिट के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक को सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा गबन की गयी धनराशि या अनुचित उपयोग की गयी धनराशि की वसूली हेतु उत्तरदायी बनाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- **The State Govt. (implementing agencies) shall assign responsibilities to the respective DPCs and Pos to implement corrective actions against Social Audit findings in a time bound manner.**
- **The State Govt. shall be responsible for taking follow up Actions on the findings of the Social Audits.**
- **The SEGC shall monitor the action taken by the State Govt. and incorporate ATR in the annual report, to be laid before the State Legislative Assembly.**
- **The DPC shall ensure that corrective action is taken on all the Social Audit reports.**
- **The DPC shall ensure that recoveries are made in case of embezzlement or improper utilization.**
- **The implementing agency is responsible for taking follow up actions on the findings of the social Audits in a time bound manner.**
- **Within a month for Gram Sabha/Ward Sabha, PO should submits the ATR to the SAU.**
- **As per Audit of Scheme Rules, 2011, All Social Audit reports along with action taken reports are to be hosted on public domain.**

2- अवगत कराना है कि सोशल आडिट सम्पन्न होने के पश्चात सोशल आडिट प्रतिवेदनों को सोशल आडिट यूनिट द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट www.nre के सोशल आडिट एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आडिट प्रतिवेदन में पायी गयी कमियों को आवश्यकतानुसार पीओ/डीपीसी/राज्य स्तर को फारवर्ड किया जाता है, जिसे www.nrega.nic.in पर एम0आई0एस0 रिपोर्टस में वर्षवार R.9.3.1 व R.9.3.2 पर देखा जा सकता है।

3-सोशल आडिट में पायी गयी कमियों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1729/38-7-2014-324नरेगा/2012 दिनांक 04-08-2014 तथा पत्र संख्या-1641/38-7-2019-324नरेगा/2012 दिनांक 12-07-2019 द्वारा ए0टी0आर0 अपलोड करने एवं प्रकरणों के क्लोजर हेतु पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4-वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 72 जनपदों के 46422 ग्राम पंचायतों की सोशल आडिट रिपोर्ट एम0आई0एस0 पर अपलोड की गयी है, जिनमें कुल 1,92,280 इश्यूज अपलोड किये गये हैं। इन इश्यूज पर अभी तक 56 जनपदों द्वारा 37556 ए0टी0आर0 अपलोड किये गये हैं, जबकि शेष जनपदों द्वारा अभी ए0टी0आर0 की अपलोडिंग नहीं की गयी है। सोशल आडिट प्रतिवेदनों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 14.90 करोड़ की धनराशि का वित्तीय दुरूपयोग प्रदर्शित हो रहा है, जिसके सापेक्ष मात्र 7 जनपदों द्वारा रू0 1.83 लाख की धनराशि की वसूली की गयी है, जो अत्यंत नगण्य है।

5-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोशल आडिट में दुरूपयोग के रूप में प्रतिवेदित धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने तथा सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर प्रतिवेदित प्रकरणों का ए0टी0आर0 अपलोड करने की नियमित समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 23 /2020/ 1080)1अ/(इतीस-7-2020 तददिनांक -:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।**
2. **अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।**
3. **समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।**
4. **समस्त जिला विकास अधिकारी (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं मेरठ को छोड़कर), उत्तर प्रदेश।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shrcandesh.up.gov.in